

प्रेस नोट –कोतवाली कायमगंज

दिनांक - 19.08.2026

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 217/26 धारा 137(2)/87/65(2) बीएनएस व धारा 9M/10 पाक्सो एक्ट में प्रकाश में आये अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 217/26 धारा 137(2)/87/65(2) बीएनएस व धारा 9M/10 पाक्सो एक्ट में प्रकाश में आये अभियुक्त नरेन्द्र सिंह पुत्र जीवाराम निवासी ग्राम गऊटोला मऊ रशीदाबाद कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता- नरेन्द्र सिंह पुत्र जीवाराम निवासी ग्राम गऊटोला मऊ रशीदाबाद कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 17.08.2024 को कोतवाली कायमगंज पर वादिया द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अपनी नातिन के घर से खाटू श्याम यात्रा देखने चले जाना व वापस न आने के सम्बन्ध में दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 217/26 धारा 137(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त नरेन्द्र सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन व अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87/65(2) बीएनएस व धारा 9M/10 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण अभियुक्त - अभियुक्त नरेन्द्र उपरोक्त ने पूछताछ करने पर अपने जुर्म की माफी माँगते हुए अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त नरेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 217/26 धारा 137(2)/87/65(2) बीएनएस व धारा 9M/10 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-

- 1- प्र0नि0 श्री विनोद कुमार शुक्ल
- 2- उ0नि0 अंकुर भाटी
- 3- का0 सचिन कुमार
- 4- का0 विजय कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली- फतेहगढ़

दि0-19.08.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त महेश पुत्र रैवारी कंजड निवासी कालोनी कला कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स०- 244/2004 वाद संख्या 174/2004 धारा 3(1)उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट द्वारा दिनांक 19.08.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 05 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 10000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री रैलेश कुमार



को० मो० - हे०का० राजेन्द्र कुमार



पैरोकार - का० मनोज कुमार